# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

**पीठासीन अधिकारी :— अमिता बिश्नोई** आर.ए.एस.

**प्रार्थना पत्र संख्या :— 207 / 2023**

राजीव पुत्र देवीलाल जाति कुम्हार साकिन 34 एलएलडब्लयू तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

——प्रार्थी

—:बनाम:—

1. मनी देवी पत्नी सुखराम जाति कुम्हार साकिन 34 एलएलडब्लयू तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. देवीलाल पुत्र सुखराम जाति कुम्हार साकिन 34 एलएलडब्लयू तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
3. शारदा पुत्री देवीलाल जाति कुम्हार साकिन 34 एलएलडब्लयू तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ ।
4. रोशनी पुत्री देवीलाल जाति कुम्हार साकिन 34 एलएलडब्लयू तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
5. सीता पुत्री देवीलाल जाति कुम्हार साकिन 34 एलएलडब्लयू तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
7. शांति देवी पुत्री सुखराम जाति कुम्हार साकिन 34 एलएलडब्लयू तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ ।
8. परमेश्वरी देवी पुत्री सुखराम जाति कुम्हार साकिन 34 एलएलडब्लयू तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
9. माया देवी पुत्री सुखराम जाति कुम्हार साकिन 34 एलएलडब्लयू तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
10. विमला देवी पुत्री सुखराम जाति कुम्हार साकिन 34 एलएलडब्लयू तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
11. पारी देवी पुत्री सुखराम जाति कुम्हार साकिन 34 एलएलडब्लयू तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ ।
12. कैलाश देवी पुत्री सुखराम जति कुम्हार साकिनान 34 एलएलडब्लयू तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ !
13. भीसमेन पुत्र सुखराम जाति कुम्हार साकिन 34 एलएलडब्लयू तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

—— अप्रार्थीगण

**—:: प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अधि. बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा ::—**

**—:: उपस्थित अभिभाषकगण ::—**

1. श्री हीरालाल बिरथलिया —— प्रार्थी
2. श्री मदनलाल पारीक —— अप्रार्थी सं. 1 व 7 ता 13
3. राजपैरोकार जरिये तहसीलदार, पीलीबंगा —— अप्रार्थी सं. 6

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.10.28 15:08:05 IST
Reason: SelfAttested

**दिनांक:—** 25/10/2024

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरुद्ध जरिये अधिवक्ता श्री हीरालाल बिरथलिया द्वारा प्रस्तुत किया गया है। उक्त अनवान का प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में पेश हो चुका है जिसमें प्रार्थी को कामयाबी की पूर्ण संभावना है। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है।

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

यह कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण हिन्दू संयुक्त परिवार के सदस्य है जो मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ से शासित होते है। इस हिन्दु संयुक्त परिवार के कर्ता प्रार्थी के दादा श्री सुखराम थे।

यह कि अप्रार्थी सं. 1 के नाम से संयुक्त खाता की खातेदारी कृषि भूमि वाके तहसील पीलीबंगा के चक 34 एलएलडब्लयू के खाता सं. 64 के प.नं. 20/226, 21/226, 23/228 कुल तादादी 4.225 हैक्ट. मे से 14407/84500 हिस्सा मुताबिक नकल जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रमाणित प्रति जमाबन्दी संलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 में वर्णित कृषि भूमि पूर्व मे प्रार्थी के दादा श्री सुखराम पुत्र खुशालराम के नाम से 1.416 हैक्ट. कृषि भूमि दर्ज राजस्व अभिलेख थी जिनके देहान्त के पश्चात दादा श्री सुखराम के पुत्रों व पुत्रीयों द्वारा अपना–अपना समस्त हक व हिस्सा का त्याग प्रार्थी की दादी अप्रार्थी सं. 1 मनी देवी के हक मे बतौर परिवार की कर्ता होने के कारण से कर दिया गया। इससे स्पष्ट है कि वादग्रस्त कृषि भूमि प्रार्थी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमे प्रार्थी का जन्म से ही हक व हिस्सा निहित हो चुका है। वादग्रस्त कृषि भूमि जो अप्रार्थी सं. 1 को 1.416 हैक्ट. कृषि भूमि दादा श्री सुखराम के देहान्त के पश्चात प्राप्त हुई मे से दादी अप्रार्थी सं. 1 ने 0.430 हैक्ट. कृषि भूमि का बेचान रूपराम व 0.265 हैक्ट. कृषि भूमि का बेचान अनन्तराम व मनफुलराम को कर दिया इस प्रकार शेष कृषि भूमि अप्रार्थी सं. 1 के नाम से 0.720 हैक्ट. कृषि भूमि वर्तमान राजस्व अभिलेख मे दर्ज है। इससे भी स्पष्ट है कि अप्रार्थी सं. 1 ने अपने हक व हिस्सा से अधिक कृषि भूमि का बेचान कर दिया है जो कि अप्रार्थी सं. 1 को कानून रूप से कोई विधिक अधिकार हासिल नही थे। चूंकि वादग्रस्त कृषि भूमि हिन्दु संयुक्त परिवार की पैतृक कृषि भूमि थी जिसमे प्रत्येक परिवार के सदस्य का सहदायिक हक व हिस्सा है।

यह कि प्रार्थी की दादी मनी देवी की वर्तमान में लगभग 70 वर्ष की उम्र है जिन्हें कानों से कम सुनाई देता है तथा आखों से कम दिखाई देता है व मानसिक व शारिरीक स्थिति भी अत्याधिक क्षीण हो चुकी है। इसलिए वादग्रस्त कृषि भूमि का पारिवारिक सदस्यों, रिश्तेदारों ने आपसी बंटवारा करवाया और बंटवारा के समय प्रार्थी की बुआ द्वारा अपना समस्त हक व हिस्सा का मौखिक रूप से त्याग अपने दोनों भाईयों भीमसेन व देवीलाल के पक्ष में कर दिया और अप्रार्थी सं. 1 के भरण पोषण एवं जीवन यापन, दवा ईलाज हेतू समस्त जिम्मेवारी उनके दोनों पुत्र देवीलाल व भीमसेन द्वारा संयुक्त रूप से ली गई । इस प्रकार वर्तमान राजस्व अभिलेख मे अप्रार्थी सं. 1 के नाम वर्णित 0.720 हैक्ट. कृषि भूमि मे से अप्रार्थी सं. 2 का 1/2 हिस्सा का हक व हिस्सा है और उक्त 1/2 हक व हिस्सा मे प्रार्थी की बहने यानि अप्रार्थी सं. 3 ता 5 द्वारा अपना समस्त हक व हिस्सा प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष मे कर दिया। अतः अप्रार्थी सं. 1 के नाम वाद पत्र की दफा 3 मे वर्णित 0.720 हैक्ट. कृषि भूमि मे से अप्रार्थी सं. 2 के 1/2 हिस्सा मे से प्रार्थी का 1/2 हिस्सा का हक व हिस्सा बनता है जिसकी प्रार्थी घोषणा करवाने का अधिकारी है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 मे अप्रार्थी सं. 1 के नाम वर्णित कृषि भूमि मे से प्रार्थी का 1/4 हिस्सा का हक व हिस्सा बनता है जिस पर प्रार्थी शांतिपूर्वक काबिज काश्त है और वर्तमान मे भी प्रार्थी ने अपने 1/4 हिस्सा की कृषि भूमि पर फसल काश्त की हुई है लेकिन वर्तमान राजस्व अभिलेख मे वादग्रस्त कृषि भूमि अप्रार्थी सं. 1 के नाम से दर्ज होने से प्रार्थी की हकूक खातेदारी पर विपरित असर पडता है और प्रार्थी को अपने हक व हिस्सा की कृषि भूमि पर मिलने वाली राजकीय सुविधाओं से वंचित होना पड रहा है।

इसलिए प्रार्थी अप्रार्थी सं. 1 के नाम वर्णित कृषि भूमि मे से 1/4 हिस्सा की घोषणा करवाने का अधिकारी है जो कि घोषित [illegible] किया जावे।

यह कि वादग्रस्त कृषि भूमि अप्रार्थी सं. 1 के नाम दर्ज राजस्व अभिलेख है जिसका नाजायज फायदा अप्रार्थी सं. 2 देवीलाल उठाने पर आमादा है और वादग्रस्त कृषि भूमि को पूर्व की भांति विक्रय कर प्रार्थी के हक व हिस्सा को खुर्द बुर्द करना चाहते है। अप्रार्थी सं. 2 ने 5 दिन पूर्व प्रार्थी के हक व हिस्सा एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि मे अनजान व्यक्तियों को लाकर कृषि भूमि बेचान के उद्देश्य से दिखा रहा है। यदि अप्रार्थीगण अपने इन मनसुबों में

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.10.28 15:08:05 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

कामयाब हो जाते है तो प्रार्थी को अपूर्णीय व अपरिमय क्षति होगी तथा प्रार्थी को न पूरा होने वाला नुकसान होगा। प्रार्थी के पास उक्त पैतृक कृषि भूमि के अलावा अन्य कोई कृषि भूमि नही है तथा ना ही अन्य कोई आय का स्त्रोत है। इसलिए उक्त तत्कालिक परिस्थितियों को देखते हुये अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण जारी की जावे।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की जावे कि ता निस्तारण वाद चक 34 एलएलडब्लयू के खाता सं. 64 के प.नं. 20/226, 21/226, 23/228 कुल तादादी 4.225 हैक्ट. मे से अप्रार्थी सं. 1 के नाम वर्णित 14407/84500 हिस्सा यानि 0. 720 हैक्ट. कृषि भूमि के मौका व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे तथा रकबा को किसी प्रकार से रहन बैय व अन्य प्रकार से मुन्तकिल नही करे तथा प्रार्थी के अधिकारो के विरूद्ध कोई दस्तावेज तहरीर व तस्दीक करवाने से ममनू व बाज रहे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर अधिवक्ता प्रार्थी की अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु एक पक्षिय बहस सुनी गई जिसपर दिनांक 06.12.2024 को अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा प्रतिबन्धित किया गया है कि चक 34 एलएलडब्लयू के खाता सं. 64 के प.नं. 20/226, 21/226, 23/228 कुल तादादी 4.225 हैक्ट. में से अप्रार्थी सं. 1 के नाम वर्णित 14407/84500 हिस्सा यानि 0. 720 हैक्ट. कृषि भूमि को रहन बैय अन्तरित न करें व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

अप्रार्थी संख्या 1, 7 ता 13 की ओर से श्री मदन लाल पारीक की ओर से वकालतनामा प्रस्तुत किया गया है शामिल वाद है अप्रार्थी संख्या 2, 3, 4, 5 की तलबी होने पर हाजिर नहीं आने पर एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लायी गई है।

जवाब प्रार्थी संख्या 1 प्रस्तुत किया गया है जो शामिल पत्रावली है जो निम्न प्रकार से हैः–

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 1 में दर्ज यह तथ्य की उक्त अनवान का वाद पत्र श्रीमान न्यायालय में प्रस्तुत हो चुका है, स्वीकार है परन्तु उसमें प्रार्थी की कामयाबी की कोई सम्भावना नहीं है। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में ना होकर मुझ अप्रार्थीया के पक्ष में हैं ।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 कतई गलत एवम् मिथ्यारचित है, स्वीकार नहीं। प्रार्थी एवम् अप्रार्थीगण का संयुक्त परिवार नहीं है। अप्रार्थीया के पति श्री सुखराम की मृत्यु लगभग 15 वर्ष पुर्व हो चुकी है। इससे पूर्व ही प्रार्थी राजीव अपने पिता अप्रार्थी संख्या 2 देवीलाल के साथ रहता है। शेष अप्रार्थीगण लड़कियां अपने ससुराल में रहती है। अप्रार्थी भीमसैन भी काफी वर्षो से अलग रहता है। अप्रार्थीया मनीदेवी अपने पुत्र श्री भीमसैन के साथ रहती है। प्रार्थी द्वारा वर्णित सजरा खानदान का इस प्रशनगत भुमि से कोई सम्बन्ध नहीं है और ना ही यह भुमि संयुक्त हिन्दु परिवार की सम्पति है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 के मुताबिक राजस्व अभिलेख प्रशनगत भुमि मुझ अप्रार्थीया के नाम दर्ज होना स्वीकार है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 4 जिस तरह से दर्ज की गई है, स्वीकार नहीं है। अप्रार्थीया मनीदेवी अपने पुत्र भीमसैन के साथ रहती है। राजीव एवम् देवीलाल अलग रहते है। यह परिवार संयुक्त नहीं है और ना ही अप्रार्थीया संख्या 1 इस परिवार की कर्ता है। प्रशनगत भुमि में अप्रार्थीया मनीदेवी के पति श्री सुखराम की मृत्यु के बाद उनके एवम् अप्रार्थीया के समस्त पुत्र पुत्रियो देवीलाल वगैरा ने कोई हक हिस्सा नहीं [illegible] सब ने अपना समस्त हिस्सा जरिये पंजीकृत दस्तवरदारी अप्रार्थीया के पक्ष में [illegible] कर दिया जिसका नामान्तरण मुझ दिनांक 12.06.2015 को मुझ अप्रार्थीया के पक्ष में हो गया [illegible] से ही अप्रार्थीया बतौर एकल खातेदार साधिकार काबिज काश्त है। प्रशनगत भुमि में [illegible] के पिता देवीलाल ने कभी कोई हिस्सा नहीं लिया तो प्रार्थी का किसी भी प्रकार से हक [illegible] हिस्सा नहीं बनता है। प्रशनगत भुमि की मुताबिक हिन्दु विधि अप्रार्थीया पुर्ण स्वामिनी है। उसे अपने जीवनकाल में अपनी इस खातेदारी भुमि का पुर्ण उपभोग एवम् उपयोग करने का अधिकार है। मुझ अप्रार्थीया ने अपनी आवश्यकताओ एंवम् परिवार की जरूरतो एंव बिमारी की अवस्था में दवाओं हेतु रूपयों की

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.10.28 15:08:05 IST
Reason: Self Attested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

आवश्यकता होने पर इस भूमि का बैचान किया है। जो राजस्व अभिलेख में खरीददारो के नाम है एवंम् उनके कब्जा काश्त में है। मुझ अप्रार्थीया के नाम दर्ज भुमि में से 0.0189 हैक्ट. भुमि लालचन्द पुत्र शंकरलाल कुम्हार ने जरिये बैयनामा दिनांक 01.12.2023 को खरीद की है। यह भुमि उसने रास्ता हेतु खरीद की है। इस 0.0189 हैक्ट. भुमि में से लालचन्द अपनी भुमि में आना जाना करता है तथा यह भुमि लालचन्द के कब्जा में है। शेष भुमि मुझ अप्रार्थीया की भुमि है जिसमें प्रार्थी एवम् अन्य किसी का कोई हक एवम् हिस्सा नहीं है। प्रशनगत भुमि संयुक्त परिवार की सम्पति नहीं है। प्रार्थी का किसी प्रकार का कोई विधिक अधिकार नहीं है। चित्रप्रति नामान्तरण संलग्न जवाब प्रार्थना पत्र है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 5 कतई मिथ्यारचित एवम् विधि विरूद्ध है, स्वीकार नहीं। मैं अप्रार्थीया अपना भला बुरा अच्छी तरह से समझती व जानती हुँ। मैं अपने पुत्र भीमसैन के पास रहती हूँ वहीं मेरी सेवा चाकरी व देखभाल करता है। राजीव– देवीलाल के पास अप्रार्थीया नहीं रहती है और न ही ये दोनो सेवा चाकरी, देखभाल करते है। प्रार्थी की बुआ व मुझ अप्रार्थीया की पुत्रियां एवम् मेरे पुत्रो का प्रशनगत भुमि में कोई हक हिस्सा नहीं है। इन द्वारा अपना समस्त हिस्सा पुर्व में मुझ अप्रार्थीया के द्वारा अपना समस्त हिस्सा पूर्व में मुझ अप्रार्थीया के पक्ष में छोड़ दिया गया है। इसलिए प्रार्थी का यह कथन कि बुआ ने अपना हिस्सा अपने भाईयों के पक्ष में छोड़ दिया है कतई मिथ्या वर्णित है। इस भूमि में से अप्रार्थी संख्या 2 देवीलाल ने अपना समस्त हक जरिये दस्तवरदारी मुझ अप्रार्थीया के पक्ष में त्याग कर दिया है इसलिए इस भूमि में से अप्रार्थी देवीलाल का कोई हक हिस्सा नहीं है तो प्रार्थी किसी प्रकार की घोषणा पाने का हकदार नहीं है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 6 कतई मनगढंत एंवम् विधि विरूद्ध है, स्वीकार नहीं। प्रशनगत भुमि न तो पैतृक सम्पति है एंवम् ना ही संयुक्त परिवार की सम्पति है। प्रार्थी के पिता देवीलाल को विरास्त में प्राप्त हुई 1/9 हिस्सा का वह मुझ अप्रार्थीया के पक्ष में जरिये पंजीकृत दस्तवरदारी दिनांक 26.05.2015 को हक त्याग कर चुका है और अप्रार्थीया इस भुमि की कानुन अकेली पुर्ण एंव विधिक स्वामिनी है। अप्रार्थीया के जीवनकाल किसी भी वारीस एवम् प्रार्थी का कोई हक हिस्सा नहीं बनता है। प्रार्थी किसी भी तरह से घोषणा प्राप्त नहीं कर सकता है। प्रार्थी किसी भी तरह से घोषणा प्राप्त करने का हकदार नहीं है। प्रार्थना पत्र विधि विरूद्ध होने के कारण काबिल खारीज के है ।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 7 प्रार्थना पत्र को रंगत देने की नियत से मिथ्या रचित है, स्वीकार नहीं। अप्रार्थीया सं. 1 मनीदेवी प्रशनगत भुमिरू की अभिलिखित खातेदार काश्तकार है। इस भुमि प्रार्थी के पिता देवीलाल के हक भी समाप्त हो चुके है तो प्रार्थी किसी भी प्रकार का हकदार नहीं है। हिन्दु विधि के अनुसार अप्रार्थीया पुर्ण अधिकारीणी है। प्रार्थी किसी भी प्रकार का अनुतोष एवम् अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का हकदार नहीं है। अस्थाई निषेधाज्ञा के समस्त घटक मुझ अप्रार्थीया के पक्ष में है । इसलिए प्रार्थना पत्र खारीज योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी मय खर्चा खारीज फरमाया जावे।

जवाब अप्रार्थी संख्या 7 ता 13 का जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर बंद किया गया है। स्टेट जवाब प्राप्त हो चुका है कि राज्य हित को ध्यान में रखते हुए निर्णय किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.10.28 15:08:05 IST
Reason: SelfAttested

बहस उभय पक्ष सुनी गई बहस में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा कथन किया गया कि विरासतन इंतकाल न होकर दस्तबरदारी दादी के नाम है के नाम होने से कुछ भूमि लगभग ढाई बीघा का बेचान कर दिया है अपने हिस्से से अधिक बेचान कर दिया है जो गलत है। जिससे अपूर्णिय क्षति है अस्थाई निषेधाज्ञा ताबला कन्फर्म की जावे। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा न्यायायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये गए– आरआरटी 2020(2) पृष्ठ संख्या 655, आरबीजे 1999 पृष्ठ संख्या 463, आरआरडी 2000 पृष्ठ संख्या 276, आरआरटी 2021(2) पृष्ठ

संख्या 817, आरआरटी 2018 (2) पृष्ठ संख्या 1275 प्रस्तुत कर बहस में कथन किया कि प्रश्नगत रकबा की मनीदेवी को रजिस्टर्ड दस्तबरदारी है सभी ने अपना हिस्सा छोड़ दिया है इस लिए राजीव का नहीं बनता है। दस्तबरदारी की अधिकारिता सिविल कोर्ट को है। रिकार्डिड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा भी जारी नहीं होती है। कथन किया कि प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन कर। विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का सम्मान अध्ययन किया गया। यह न्यायालय स्थगनादेश जारी किए जाने पर इसलिए सहमत नहीं होता है क्योंकि राजस्थान काशतकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा खातेदार के हिस्से तक संयुक्त संपति के सभी अंशधारी कब्जे में होना माने जाते है और बिना विभाजन के उसके हिस्से की संपति को बेचान करने के हकदार भी है जबकि अप्रार्थी सं. 1 निर्बाध रूप से एकल रिकोर्डेड खातेदार है। उनको अपने हिस्से की भूमि को विक्रय/अन्तरण/रहन न करने से पांबद नहीं किया जा सकता है। (आरआरटी 2009 (1) पेज (25) किसी भी रिकोर्डेड खातेदार के खिलाफ बिना मूल दावा अंतिम डिक्री तक अस्थाई व्यादेश जारी कर अनवरत् किया जाना उचित व संगत प्रतीत नहीं होता है। राजस्थान काशतकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 में उपलब्ध उपचार/अनुतोष में भूमि का दुर्व्ययन (wasted) हानि (dameged) और अंतरित किए जाने (lienated) जैसी स्थिति हस्तगत प्रकरण में प्रतीत या उजागर भी नहीं होती है इसलिए अस्थाई व्यादेशा जारी कर अनवरत् किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है लिहाजा उक्त प्रार्थना पत्र को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। पूर्व में दिनांक 06.12.2023 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा खाजिर की जाती है। पत्रावली नबंर से कम की जाकर बाद तरतीब व तकमील के दाखिल दफ्तर की जाती है। संलग्न मूल वाद रहे।

यह आदेश आज दिनांक 25/10/2024 को सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली नंबर से कम की जाकर संलग्न मूल वाद की जाती है।

(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.10.28 15:08:05 IST
Reason: SelfAttested